**भारतीय रिज़र्व बैंक**

स्थापना

* भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
* शुरुआत में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ RBI का गवर्नर बैठता है और जहाँ नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
* यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गए हैं:

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।”

केंद्रीय बोर्ड

रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होती है।

* गठन
* सरकारी निदेशक
* पूर्ण:कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
* गैर:सरकारी निदेशक
* सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
* अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक

**स्थानीय बोर्ड**

* देश के चार क्षेत्रों - मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और नई दिल्ली से एक-एक
* सदस्यता :
* प्रत्येक में पांच सदस्य
* केंद्र सरकार द्वारा नियुक्‍त
* चार वर्ष की अवधि के लिए

**कार्यः** स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और अर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना; केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।

प्रमुख कार्य

1. मौद्रिक प्रधिकारी (Monetary Authority)

* मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है।
* उद्देश्य: विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

रिज़र्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Board for Financial Supervision-BFS) के दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

* केंद्र सरकार द्वारा धारा 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिये आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। पहले यह काम रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता था।
* रिज़र्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में इस समिति की सहायता करता है तथा अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के विचारों और रिज़र्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीतिगत रेपो दर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है।

2. वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक (Regulator and Supervisor of the Financial System)

* बैंकिंग परिचालन के लिये विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
* उद्देश्यः प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।

3. विदेशी मुद्रा प्रबंधक (Manager of Foreign Exchange)

* विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
* उद्देश्यः विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना एवं भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार का क्रमिक विकास करना तथा उसे बनाए रखना।

4. मुद्रा जारीकर्त्ता (Issuer of Currency)

* यह करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है।
* उद्देश्य : आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

विकासात्मक भूमिका

* राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिये व्यापक स्तर पर प्रोत्साहक कार्य करना।

संबंधित कार्य

* सरकार का बैंकर : केंद्र और राज्य सरकारों के लिये यह व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
* बैंकों के लिये बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है।

वार्षिक रिपोर्ट

* वार्षिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की सांविधिक रिपोर्ट (Statutory Report) है और इसे हर वर्ष अगस्त में जारी किया जाता है।
* यह रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है और इसमें शामिल होते हैं;
* भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावनाएँ;
* अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा;
* वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक का कार्य;
* आगामी वर्ष के लिये रिज़र्व बैंक का विज़न और एजेंडा; तथा
* रिज़र्व बैंक के वार्षिक खाते (जुलाई-जून)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

* यह भी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सांविधिक प्रकाशन (Statutory Publication) है।
* वार्षिक रूप से प्रस्तुत यह दस्तावेज़ पिछले वर्ष के लिये वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और कार्य निष्पादन की समीक्षा है।
* अप्रैल से मार्च तक की अवधि को कवर करने वाले इस प्रकाशन को सामान्यतः नवंबर/दिसंबर में जारी किया जाता है। दिसंबर 2014 से यह प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता

* RBI अधिनियम की धारा 7(1) के तहत केंद्र सरकार रिज़र्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंक को ऐसे दिशा-निर्देश दे सकती है, जो जनता के हित में आवश्यक हों।
* सेक्शन 7(2) के तहत इस तरह के किसी भी दिशा-निर्देश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह निदेशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है।
* सेक्शन 7(3) के तहत रिज़र्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डिप्टी गवर्नर की गैर-मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के सामान्य अधीक्षण (General Superintendence) एवं निर्देशन की शक्तियाँ होंगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालाँकि RBI की स्वायत्तता को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
* तथापि RBI को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा जाता है, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों- चाहे वह पीएसबी हो या निजी बैंक या विदेशी बैंक, हेतु एक समग्र निकाय है।
* इसमें न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियाँ ही निहित हैं, बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की निगरानी संबंधी शक्तियाँ भी निहित हैं।
* पिछले कुछ समय से रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के मसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके मुख्य कारण हैं: गैर-निष्पादित आस्तियों की जाँच के संबंध में RBI की विफलता, सख्त मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी की समस्या, RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु किये गए सुधारात्मक उपाय, जिन्हें सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक नहीं माना गया, आदि।

**विधिक ढांचा**

**सर्वोच्च अधिनियम**

* भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934: रिज़र्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है।
* बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949: वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है।

**विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम**

* लोक ऋण अधिनियम, 1944/सरकारी प्रतिभूति अधिनियम (प्रस्तवित): सरकारी ऋण बाज़ार पर नियंत्रण
* प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 : सरकारी प्रतिभूति बाज़ार पर नियंत्रण
* भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 : मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण
* विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 : व्यापार और विदेशी मुद्रा बाज़ार पर नियंत्रण

**बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम**

* कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 : कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण
* बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1080: बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित
* बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891
* बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम
* परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

**अलग-अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम**

* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1954
* औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003
* औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993
* राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम
* राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम
* निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम

**Reserve Bank of India**

**Establishment**

The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934.

The Central Office of the Reserve Bank was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. The Central Office is where the Governor sits and where policies are formulated.

Though originally privately owned, since nationalisation in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India.

Preamble

The Preamble of the Reserve Bank of India describes the basic functions of the Reserve Bank as:

"to regulate the issue of Bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage; to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth."

**Main Functions**

Monetary Authority:

* Formulates, implements and monitors the monetary policy.
* Objective: maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth.

Regulator and supervisor of the financial system:

* Prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial system functions.
* Objective: maintain public confidence in the system, protect depositors' interest and provide cost-effective banking services to the public.

Manager of Foreign Exchange

* Manages the Foreign Exchange Management Act, 1999.
* Objective: to facilitate external trade and payment and promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India.

Issuer of currency:

* Issues and exchanges or destroys currency and coins not fit for circulation.
* Objective: to give the public adequate quantity of supplies of currency notes and coins and in good quality.

Developmental role

* Performs a wide range of promotional functions to support national objectives.

Regulator and Supervisor of Payment and Settlement Systems:

* Introduces and upgrades safe and efficient modes of payment systems in the country to meet the requirements of the public at large.
* Objective: maintain public confidence in payment and settlement system

Related Functions

* Banker to the Government: performs merchant banking function for the central and the state governments; also acts as their banker.
* Banker to banks: maintains banking accounts of all scheduled banks.

**Central Board**

The Reserve Bank's affairs are governed by a central board of directors. The board is appointed by the Government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act.

* Appointed/nominated for a period of four years
* Constitution:
	+ **Official Directors**
		- Full-time : Governor and not more than four Deputy Governors
	+ **Non-Official Directors**
		- Nominated by Government: ten Directors from various fields and two government Official
		- Others: four Directors - one each from four local boards

**Functions :** General superintendence and direction of the Bank's affairs

**Local Boards**

* One each for the four regions of the country in Mumbai, Calcutta, Chennai and New Delhi
* Membership:
* consist of five members each
* appointed by the Central Government
* for a term of four years

Functions : To advise the Central Board on local matters and to represent territorial and economic interests of local cooperative and indigenous banks; to perform such other functions as delegated by Central Board from time to time.

**Board for Financial Supervision (BFS)**

The Reserve Bank of India performs the supervisory function under the guidance of the Board for Financial Supervision (BFS). The Board was constituted in November 1994 as a committee of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India (Board for Financial Supervision) Regulations, 1994.

Objective

The primary objective of BFS is to undertake consolidated supervision of the financial sector comprising Scheduled Commercial and Co-operative Banks, All India Financial Institutions, Local Area Banks, Small Finance Banks, Payments Banks, Credit Information Companies, Non-Banking Finance Companies and Primary Dealers.

The BFS oversees the functioning of Department of Banking Supervision (DBS), Department of Non-Banking Supervision (DNBS) and Department of Co-operative Bank Supervision (DCBS) and gives directions on regulatory and supervisory issues.

Functions

Some of the initiatives taken by the BFS include:

1. Fine-tuning the supervisory processes adopted by the Bank for regulated entities;
2. Introduction of off-site surveillance system to complement the on-site supervision of regulated entities;
3. Strengthening the statutory audit processes of banks and enlarging the role of auditors in the supervisory process;
4. Strengthening the internal defences within supervised institutions such as corporate governance, internal control and audit functions, management information and risk control systems, review of housekeeping in banks;
5. Introduction of supervisory rating system for banks and financial institutions;
6. Supervision of overseas operations of Indian banks, consolidated supervision of banks;
7. Technical assistance programme for cooperative banks;
8. Introduction of scheme of Prompt Corrective Action Framework for weak banks;
9. Guidance regarding fraud risk management framework in banks;
10. Introduction of risk based supervision of banks;
11. Introduction of an enforcement framework in respect of banks;
12. Establishment of a credit registry in respect of large borrowers of supervised institutions; and
13. Setting up a subsidiary of RBI to take care of the IT requirements, including the cyber security needs of the Reserve Bank and its regulated entities, etc.

**Legal Framework**

I. Acts administered by Reserve Bank of India

* Reserve Bank of India Act, 1934
* Public Debt Act, 1944/Government Securities Act, 2006
* Government Securities Regulations, 2007
* Banking Regulation Act, 1949
* Foreign Exchange Management Act, 1999
* Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Chapter II)
* Credit Information Companies(Regulation) Act, 2005
* Payment and Settlement Systems Act, 2007
* Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 and Amended up to 2011 and BPSS Regulations, 2008
* The Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015 - No. 18 of 2015
* Factoring Regulation Act, 2011

II. Other relevant Acts

* Negotiable Instruments Act, 1881
* Bankers' Books Evidence Act, 1891
* State Bank of India Act, 1955
* Companies Act, 1956/ Companies Act, 2013
* Securities Contract (Regulation) Act, 1956
* State Bank of India Subsidiary Banks) Act, 1959
* Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
* Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
* Regional Rural Banks Act, 1976
* Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980
* National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981
* National Housing Bank Act, 1987
* Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993
* Competition Act, 2002
* Indian Coinage Act, 2011 : Governs currency and coins
* Banking Secrecy Act
* The Industrial Development Bank (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2003
* The Industrial Finance Corporation (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993

**Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC)**

**Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961**

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crises in Bengal. The question came up for reconsideration in the year 1949, but it was decided to hold it in abeyance till the Reserve Bank of India ensured adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee also supported the concept. Serious thought to the concept was, however, given by the Reserve Bank of India and the Central Government after the crash of the Palai Central Bank Ltd., and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in the Parliament on August 21, 1961. After it was passed by the Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

The Deposit Insurance Scheme was initially extended to functioning commercial banks only. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

Since 1968, with the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, the Corporation was required to register the 'eligible co-operative banks' as insured banks under the provisions of Section 13 A of the Act. An eligible co-operative bank means a co-operative bank (whether it is a State co-operative bank, a Central co-operative bank or a Primary co-operative bank) in a State which has passed the enabling legislation amending its Co-operative Societies Act, requiring the State Government to vest power in the Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of a State to wind up a co-operative bank or to supersede its Committee of Management and to require the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank of India.

Further, the Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, introduced a Credit Guarantee Scheme in July 1960. The Reserve Bank of India was entrusted with the administration of the Scheme, as an agent of the Central Government, under Section 17 (11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organization (CGO) for guaranteeing the advances granted by banks and other Credit Institutions to small scale industries. The Reserve Bank of India operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank of India also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The main thrust of the Credit Guarantee Schemes, introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the above two organizations (DIC & CGCI) were merged and the present Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) came into existence on July 15, 1978. Consequently, the title of Deposit Insurance Act, 1961 was changed to 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 '.

Effective from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances, as per the definition of the Reserve Bank of India. However, effective from April 1, 1995, all housing loans have been excluded from the purview of guarantee cover by the Corporation.

**ABOUT DICGC**

**Legal Framework / Objective**

The functions of the DICGC are governed by the provisions of 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961' (DICGC Act) and 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961' framed by the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act.

The preamble of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 states that it is an Act to provide for the establishment of a Corporation for the purpose of insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities and for other matters connected therewith or incidental thereto.

**Management**

The authorized capital of the Corporation is 50 crore, which is fully issued and subscribed by the Reserve Bank of India (RBI). The management of the Corporation vests with its Board of Directors, of which a Deputy Governor of the RBI is the Chairman. As per the DICGC Act, the Board shall consist of, besides the Chairman, (i) one Officer (normally in the rank of Executive Director) of the RBI, (ii) one Officer from the Central Government, (iii) five Directors nominated by the Central Government in consultation with the RBI, three of whom are persons having special knowledge of commercial banking, insurance, commerce, industry or finance and two of whom shall be persons having special knowledge of, or experience in co-operative banking or co-operative movement and none of the directors should be an employee of the Central Government, or the RBI or the Corporation or a director or an employee of a banking company or a co-operative bank, or otherwise actively connected with a banking company or a co-op erative bank, and (iv) four Directors, nominated by the Central Government in consultation with the RBI, having special knowledge or practical experience in respect of accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law or small scale industry or any other matter which may be considered to be useful to the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Mumbai. An Executive Director is in overall charge of its day-to-day operations. It has four Departments, viz. Accounts, Deposit Insurance, Credit Guarantee and Administration, under the supervision of other Senior Officers. The Corporation had four branches, situated at Kolkata, Chennai, Nagpur and New Delhi. Out of these, the branches situated at Kolkata, Chennai and Nagpur were closed with effect from November 30, 2000, since almost all the banks have opted out of the Credit Guarantee Schemes, and most of the pending claims have been settled. While major items of work of these three branches were taken over by the Head Office of the Corporation, some residual items of work are vested with the DICGC Cells specially created in the Rural Planning & Credit Department of the Reserve Bank of India at the respective centres.

**Banks covered by Deposit Insurance Scheme**

(I) All commercial banks including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks and Regional Rural Banks.

(II) Co-operative Banks - All eligible co-operative banks as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered by the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories which have amended their Co-operative Societies Act as required under the DICGC Act, 1961, empowering RBI to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/Union Territories to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the RBI, are treated as eligible banks. At present all Co-operative banks are covered by the Scheme. The Union Territories of Lakshadweep and Dadra and Nagar Haveli do not have Co-operative Banks.

Registration of new banks as insured banks

Under Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered as soon as may be after they are granted licence by the Reserve Bank of India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949.

Following the enactment of the Regional Rural Banks Act, 1976 all Regional Rural Banks are required to be registered within 30 days from the date of their establishment in terms of Section 11A of the DICGC Act, 1961.

Co-operative Banks - A new co-operative bank is required to be registered as soon as may be after it is granted a licence by the RBI.

A primary co-operative credit society becoming a primary co-operative bank is to be registered within 3 months from the date of its application for licence.

A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter is to be registered within three months of its making an application for licence.

However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the RBI in writing that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of the bank's registration, an intimation in writing to the bank that it has been registered as an insured bank.

The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives the details about the requirements to be observed by the bank, the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid by the bank and the returns to be furnished to the Corporation etc. The insured bank has to submit its first return and remit the amount of premium within one month from the receipt of the letter, which is dispatched by Registered post or the date of commencement of business whichever is later. A copy of this letter is endorsed to the Reserve Bank of India and also National Bank For Agriculture and Rural Development (NABARD) in the case of Regional Rural Banks/State co-operative banks and District Central co-operative banks.

**Insurance coverage**

IInitially, under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was limited to 1,500/- only per depositor(s) for deposits held by him (them) in the "same right and in the same capacity" in all the branches of the bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

* 5,000/- with effect from 1st January 1968
* 10,000/- with effect from 1st April 1970
* 20,000/- with effect from 1st January 1976
* 30,000/- with effect from 1st July 1980
* 1,00,000/- with effect from 1st May 1993 onwards.
* 5,00,000/- with effect from 4th February 2020 onwards.

**Types of Deposits Covered**

DICGC insures all bank deposits, such as saving, fixed, current, recurring, etc. except the following types of deposits.

* Deposits of foreign Governments;
* Deposits of Central/State Governments;
* Inter-bank deposits
* Deposits of the State Land Development Banks with the State co-operative banks;
* Any amount due on account of and deposit received outside India
* Any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of the RBI.

Interest

An insured bank is required to remit premium not later than the last day of May and November each year. If it does not pay on or before the stipulated date the premium payable by it or any portion thereof, it is liable to pay interest at the rate of 8% above the Bank Rate on the amount of such premium or on the unpaid portion thereof, as the case may be, from the beginning of the half-year till the date of payment. Interest is calculated on this basis for the actual number of days of default, taking 1 year as 365 days.

Any amount payable to the Corporation by way of premium or interest on the overdue amount of premium can be paid in the following manner:

* Directly for credit of Deposit Insurance Fund A/C of the Corporation maintained with RBI, Deposit Accounts Department, Mumbai.
* Remittance by crossed cheque, demand draft or T.T. drawn and payable at Mumbai, in favour of the Corporation.

**Cancellation of Registration**

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration of the bank, which has been de-registered for non-payment of premium, if the concerned bank makes a request in this behalf and pays all the amounts due by way of premium from the date of default together with interest.

Registration of an insured bank stands cancelled if the bank is prohibited from receiving fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the RBI; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority and the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, deposits of the bank remain covered by the insurance till the date of the cancellation.

Returns

Every insured bank is required to furnish to the Corporation as soon as possible, after the commencement of each calendar half-year, but not in any event later than the last day of the first month of the half-year, a statement (Form DI Return) in duplicate, showing the basis on which the premium payable by that bank has been calculated and the amount of premium payable by that bank for that half-year. The statement should be certified as correct by two officials authorised by the bank for this purpose and it has to furnish to the Corporation specimen signatures of the officers authorised to sign the statements and returns under the DICGC Act, 1961.

The liquidator of a bank which has been wound up or liquidated and the chief executive officer of the transferee bank or the insured bank as the case may be in the case of amalgamation or reconstruction etc. sanctioned by a competent authority, is required to submit quarterly statements in the prescribed formats to the DICGC indicating the particulars of utilization of the amounts released by the DICGC, the position of realisation of assets of the bank and utilization of the amounts thereof and the assets and liabilities of the bank.

Supervision and Inspection of Insured Banks

The Corporation is empowered (vide Section 35 of the DICGC Act) to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the RBI is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961

1948 में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखी गयी जमाराशियों का बीमा कराने की संकल्पना पर विशेष ध्यान दिया गया । 1949 में इस विषय पर पुनः विचार किया गया परंतु बैंकों का निरीक्षण करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक इसे आस्थगित रखा गया । बाद में 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने भी इस संकल्पना का समर्थन किया । तथापि, 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लिम. और लक्ष्मी बैंक लिमि. के विफल हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों का बीमा करने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । 21 अगस्त 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआइसी) बिल प्रस्तुत किया गया । संसद द्वारा इसे पारित किये जाने के बाद 7 दिसंबर 1961 में इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1962 से निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 लागू हुआ ।

प्रारंभ में जमा बीमा स्कीम मात्र कार्यकारी वाणिज्य बैंकों तक ही लागू की गयी । इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक और अन्य वाणिज्य बैंक एवं भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं सम्मिलित थीं ।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के अधिनियमन के बाद, वर्ष 1968 से, निगम से यह अपेक्षित था कि वह अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत ' पात्र सहकारी बैंकों ' को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत करें।ऐसे राज्य में जहां पात्र सहकारी बैंक वह है (चाहे वह राज्य सहकारी बैंक हो या मध्यवर्ती सहकारी बैंक हो), निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार अपने सहकारी समिति अधिनियम में इस आशय से सं शोधित करते हुए समर्थकारी कानून पारित किया है। राज्य सरकार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार दे सके कि राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को वह यह आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनर्निमाण के लिए कोई कार् वाई न करें।

इसके अतिरिक्त भारत सरकर ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से जुलाई 1960 में एक ऋण गारंटी योजना तैयार की । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(11ए) (ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में स्कीम का संचालन रिज़र्व बैंक को सौपा गया तथा बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत अग्रिमों को गारंटी प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी संगठन (सीजीओ) के रूप में प्राधिकृत किया गया । रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 1981 तक स्कीम का परिचालन किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को भारतीय ऋण गारंटी निगम (सीजीआइसी) नामक एक पब्लिक लिमि., कंपनी भी प्रारंभ किया । भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमि., द्वारा प्रारंभ की गयी ऋण गारंटी स्कीमों का प्रधान उद्देश्य था प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल लघु और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान कर, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों विशे कर, उद्योगेतर क्रियाकलापों से संबध्द समाज के कमजोर वर्गें की ऋण आवश्यकताओं को पूरा (प्रदान ) करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को समेकित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआइसी और सीजीसीआइ) के विलय से 15 जुलाई 1978 के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया । इसके परिणामस्वरूप जमा बीमा अधिनियम, 1961 का नाम बदलकर " निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 " कर दिया गया।

1 अप्रैल 1981 से निगम ने भारत सरकार की ऋण गारंटी स्कीम के रद्द हो जाने के बाद लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण को भी गारंटी प्रदान की। भार्तीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार 1 अप्रैल, 1989 से समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को भी गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाने लगी । दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से सभी आवास ऋणों को निगम की गारंटी सुरक्षा की परिधि से निकाल दिया गया ।

विधि संरचना/उद्देश्य

निबीप्रगानि के कार्य' निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' (निबीप्रगानि अधिनियम) और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य नियमावली, 1961 के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप - धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रयोग से रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि यह ऐसा अधिनियम है जिसे किसी निगम के प्रतिष्ठान को ज़माराशियों के बीमा और ऋण सुविधाओं के बीमा तथा तत्संबधी अन्य मामलों या उसके प्रासंगिक के लिए उपलब्ध कराया गया है।

संगठन और कार्यपद्धति

निगम का प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ है जो पूर्णत: भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं)द्वारा जारी और अभिदत्त है। निगम का प्रबंधन निदेशक बोर्ड के पास है जिसमें भारिबैं का उप गवर्नर अध्यक्ष है। निबीप्रगानि अधिनियम के अनुसार बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा निम्न शामिल होने चाहिए- i) भारिबैं का एक अधिकारी(सामान्यत: कार्यपालक निदेशक के स्तर का) ii) केंद्र सरकारा का एक अधिकरी iii) भारिबैं के परामर्श से क ंद्र सरकार द्वारा नामित पांच निदेशक जिनमें से तीन ऐसे जो वाणिज्य बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, उद्योग, वित्त की विशेष जानकार हों और दो सहकारी बैंकिंग या सहकारी आंदोलन की विशेष जानकार या अनुभवी हो और कोई भी केंद्र सरकार या भारिबैं के कर्मचारी या निगम या किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक के कर्मचारी हों अथवा अन्यथा किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध हो और iv) भारिबैं के पामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित चार निदेशक जो लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थ शास्त्र, वित्त, विधि या लषु उद्योग या कोई अन्य मामला जिसे निगम के लिए उपयोगी समझा जाए के जानकर हों।

निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। एक कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक इसके वरिष्ठ अधिकारियों के समग्र दैनंदिन कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी है। निगम की चार शाखाएं हैं कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और नई दिल्ली। इनमें से कोलकाता, चेन्नई और नागपुर स्थित शाखाएं 30 नवंबर 2000 से बंद कर दी गयी है चूंकि लगभग सभी बैंकों ने ऋण गारंटी योजना से बाहर निकल गए और कई लंबित दावों का निपटान कर दिया गया। जबकि, इन तीनों शखाओं के प्रमुख कार्य मदों को निगम के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जा रहा है कुछ अवशेष कार्य मद निबीप्रगानि के कक्ष के पास हैं जिन्हें विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण गारंटी निगम के संबंधित केंद्रों में स्थापित किया गया है।

ज़मा बीमा स्कीम में शामिल बैंक

(I) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्य बैंक स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा बीमा स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं ।

(II) सहकारी बैंक - निबीप्रगानि की धारा 2 (जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंकों को जमा बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है । राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों /संघ शासि क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनर्निमाण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं । वर्तमान में मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली क संघ शासित क्षेत्रों के अलावा सभी सहकारी बैंक स्कीम में शामिल है ।

बीमित बैंकों के रूप में नए बैंकों का पंजीकरण

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नये वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम के साथ पंजीकरण कराएं ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधिनियमन से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे स्थापना की तारीख से 30 दिनें के अंदर निबीप्रगानि 1961 की धारा 11 ए के अनुसार पंजीकरण कराएं ।

सहकारी बैंक - एक नये सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद पंजीकरण कराएं ।

जब किसी प्राथामिक सहकारी बैंक की स्वाधिकृत निधियां 1 लाख रुपए हो जाते हैं तो उसे स्वयं ही प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में कारोबार करने हेतु रिज़र्व बैंक से आवेदन करना होगा और लाइसेंस के लिए आवेदन की गयी तारीख से 3 महीनों के अंदर निगम के साथ पंजीकरण कराना होगा ।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम ,1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रुप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गयी तारीख से तीन महीनों क अंदर पंजीकरण कराना है ।

तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रुप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

निबीप्रगानि की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करें कि उसे बीमाकृत बैंक के रुप में पंजीकृत किया गया है ।

सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले अपेक्षाओं के ब्यौरे, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम भुगतान करने की पध्दति और निगम को प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणियां आदि ब्यौरे शामिल होने चाहिए । बीमित बैंक को अपनी पहली विवरणी और प्रीमियम की राशि पत्र की प्राप्ति के एक महीने के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए जिसे पंजीकृत डाक द्वारा या कारोब र के प्रारंभ से एक महीने के अंदर जो भी पहले हो प्रस्तुत करनी चाहिए । इसकी एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को परांकित किया जाता है।

बीमा कवरेज

प्रारंभ में निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक के सभी शाखाओं रखी गई जमाराशि को मिलाकर "समान अधिकार और क्षमता" में केवल 1500 रु.तक सीमित रखी गयी थी । तथापि, अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ाए । तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है

* 1 जनवरी 1968 से 5,000/-
* 1 अप्रैल 1970 से 10,000 /-
* 1 जनवरी 1976 से 20,000/-
* 1 जुलाई 1980 से 30,000/-
* 1 मई 1993 और उससे आगे 1,00,000/-
* 04 फरवरी 2020 और उससे आगे 5,00,000/-

**सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार**

निबीप्रगानि निम्नलिखित जमाराशियों को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसे सभी बैंक जमाराशियों को बीमा प्रदान करता है ।

* विदेशी सरकारों की जमाराशियां;
* केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियां;
* अंतर बैंक जमाराशियां;
* राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियां;
* भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि के कारण देय कोई राशि;
* रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त कोई राशि ।

**ब्याज**

एक बीमाकृत बैंक से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर के अंतिम दिन के बाद प्रीमियम विप्रेषित न करें । यदि वह निर्धारित समय के अंदर देय प्रीमियम या उसका अंश का भुगतान करने में हुए विलंब के लिए जैसी भी स्थिति हो, बैंक दर से 8% अधिक दर पर छमाही के प्रारंभ से भुगतान की तारीख तक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य है। इस आधार पर ब्याज का परिकलन चूक के वास्तविक दिनों के लिए 1 वर्ष में 365 द नों को लेते हुए किया जाता है।

प्रीमियम के अतिदेय राशि के संबंध में प्रीमियम या ब्याज के रूप में देय किसी भी राशि को निम्नलिखित पद्धति से भुगतान किया जा सकता है।

* भारिबैं, जमा लेखा विभाग, मुंबई के साथ रखे गए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निधि खाते में जमा किया जा सकता है।
* रेखांकित चेक, डिमांड ड्राफ्ट या निगम के पक्ष में आहरित और देय टी.टीम के रूप में विप्रेषण

**पंजीकरण रद्द करना**

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15 ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि संबंधित बैंक पंजीकरण हेतु अनुरोध करता है और चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय सारी राशि ब्याज सहित अदा कर देता है और निगम संतुष्ट हो तो बैंक के पंजीकरण को प्रत्यावर्तित कर सकता है ।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है- नयी जमाराशियां स्वीकार करने से उसे प्रतिबधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द किया गया हो अथवा नहीं दिया गया हो; अथवा उसका समापन स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः किया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए)(2) के आशय में अब बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नही कहलाता हो; अ वा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा यह किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित हो गया हो अथवा किसी समक्ष प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण स्कीम स्वीकृत किया हो और यह स्कीम नयी जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में इसका पंजीकरण भी रद्द हो सकता हे यदि यह पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर द िया हो।

किसी बैंक के पंजीकरण रद्द करने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियां को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।